जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा. / स.स. / बी.पी.सी (बीपी) / 2015 / डी-1985 दिनांक- 25/8/2015

श्री रिषी मेहता,
पार्टनर
मैसर्स प्लेटिनम बिल्ड होम,
सी-15, जमना नगर, सोडाला, जयपुर।

विषय– भूखण्ड संख्या 7, योजना वैशाली एलीगेन्स, ग्राम लालरपुरा, तहसील जयपुर, गांधी पथ, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के 12.55 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2015 के संदर्भ में जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या 7, योजना वैशाली एलीगेन्स, ग्राम लालरपुरा, तहसील जयपुर, गांधी पथ, जयपुर में स्थित भूखण्ड (1030.32 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 12.55 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट+ स्टिल्ट + 3) के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के 12.55 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 174वीं बैठक दिनांक
13.07.2015 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1 यह भवन अनुज्ञा दिनांक 02.06.2022 (आवटन पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार) तक प्रभावी है।
2 भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं
किया जायेगा।
3 भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले
कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन
प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार
होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4 आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके
पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर
इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी।
निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–07 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र
में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण
होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 07 को दी जानी होगी, यदि इसकी
अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की
जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8 इस स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि
(सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, ... के लिए बाध्य होगा।
... हो तो प्रार्थी उनकी ... नहीं हों।
... तो सड़क की ओर निकले हुए ...

For Platinum Buildhome

Scanned by CamScanner

11 ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायगी।

12 स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

13 तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध मे सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र मे प्राधिकरण को देनी होगी।

14 स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।

15 स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।

16 आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

17 भवन परिसर मे ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।

18 निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।

19 भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

20. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यो को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (04 मानचित्र)

भवदीय

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2 उपायुक्त, जोन–07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रो की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3 अधिशाषी अभियन्ता बीपीसी–द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की एक प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

For Platinum Buildhome
Partner/Auth.Sign.

For Platinum Buildhome
Partner/Auth.Sign.

Scanned by CamScanner

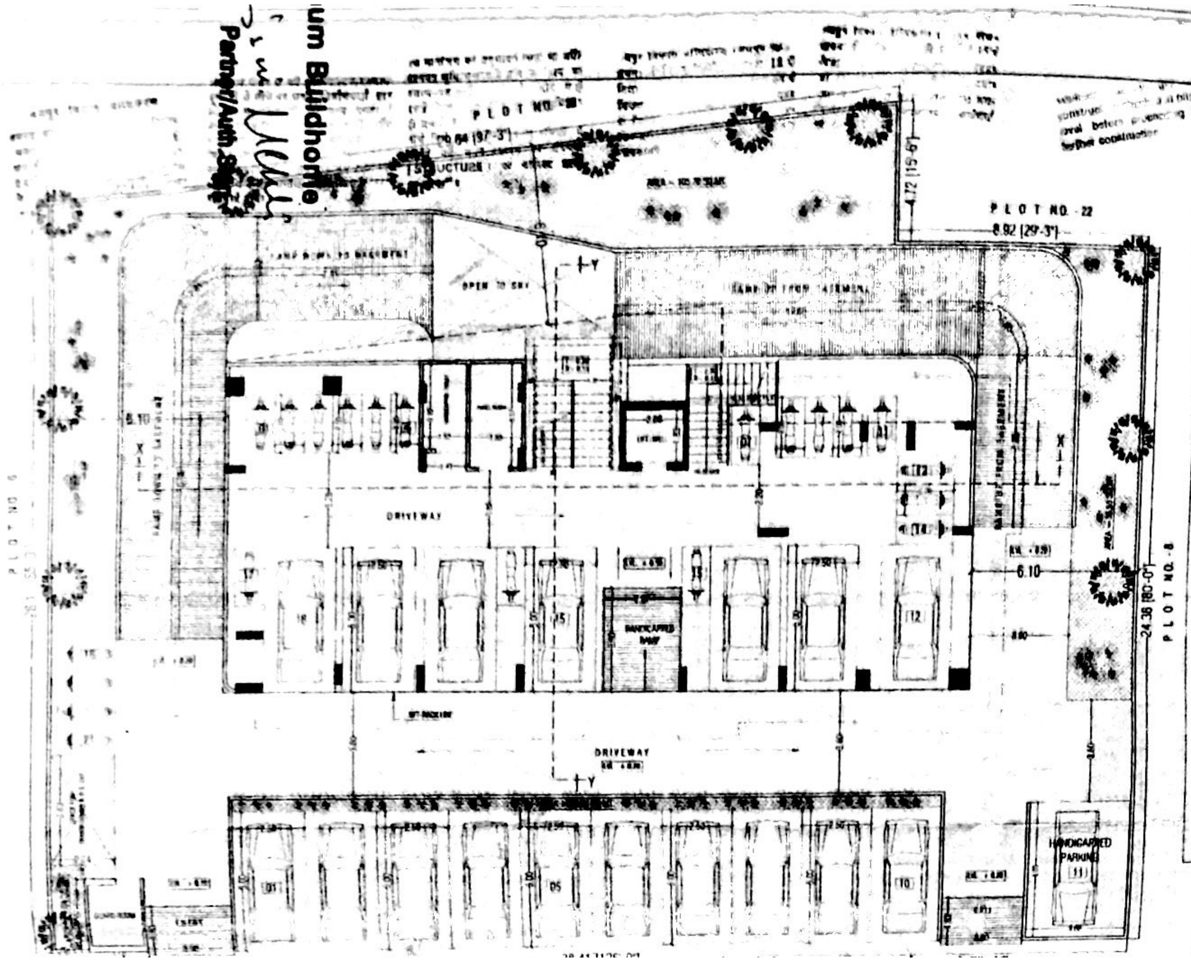

SHEET NO. - 01

TOTAL PLOT AREA = 1030.32 SQ.MT

PERMISSIBLE F.A.R.(2.25) = 1030.32 X 2.25 = 2318.22 SQ.MT

CONSUMED F.A.R. = 2362.97 SQ.MT

PERMISSIBLE FREE STORE AREA = 3% OF F.A.R.(2318.22)
= 69.54 SQ.MT

STORE AREA PROVIDED = 62.73 SQ.MT (2.70%)

NET TOTAL CONSUMED F.A.R. = 2362.97 - 62.73 = 2300.24 SQ.MT

REQUIRED LANDSCAPE AREA = 15% OF PLOT AREA(1030.32)
= (1030.32 X 15)/100 = 154.54 SQ.MT

PROVIDED LANDSCAPE AREA = 157.04 SQ.MT

ACHIEVED GROUND COVERAGE = 293.68 SQ.MT (28.50%)

ACHIEVED HEIGHT OF BUILDING = 29.95 MT.(Including STILT + PLINTH)

REQUIRED PARKING CALCULATION

REQUIRED PARKING = 2300.24/75 = 30.66 ECU
+ 25% VISITORS PARKING = 7.66 E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING = 30.66 + 7.66 = 38.32 SAY 38 E.C.U.

75% CAR PARKING = 28.50 E.C.U. = 29 CARS
REST SCOOTERS = 9 E.C.U. = 27 SCOOTERS

PARKING PROVIDED

PARKING ON STILT AREA
CARS = 07 = 07 E.C.U.
SCOOTERS = 17/3 = 5.67 E.C.U.

PARKING IN OPEN AREA
CARS = 11 = 11 E.C.U.
SCOOTERS = 4/3 = 1.33 E.C.U.

PARKING PROVIDED IN STILT FLOOR = 07 + 5.67 + 11 + 1.33 = 25 E.C.U.

PARKING IN BASEMENT
CARS = 11 = 11 E.C.U.
SCOOTERS = 09/3 = 3 E.C.U.
PARKING PROVIDED IN BASEMENT = 11 + 3 = 14 E.C.U.

TOTAL PARKING PROVIDED = 29 + 10(30) = 39 E.C.U.

BLOCK AREA SUMMARY

S. NO.	FLOOR	GROSS BUILT UP SQ.MT	BUILT-UP SQ.MT	F.A.R. SQ.MT

Scanned by CamScanner

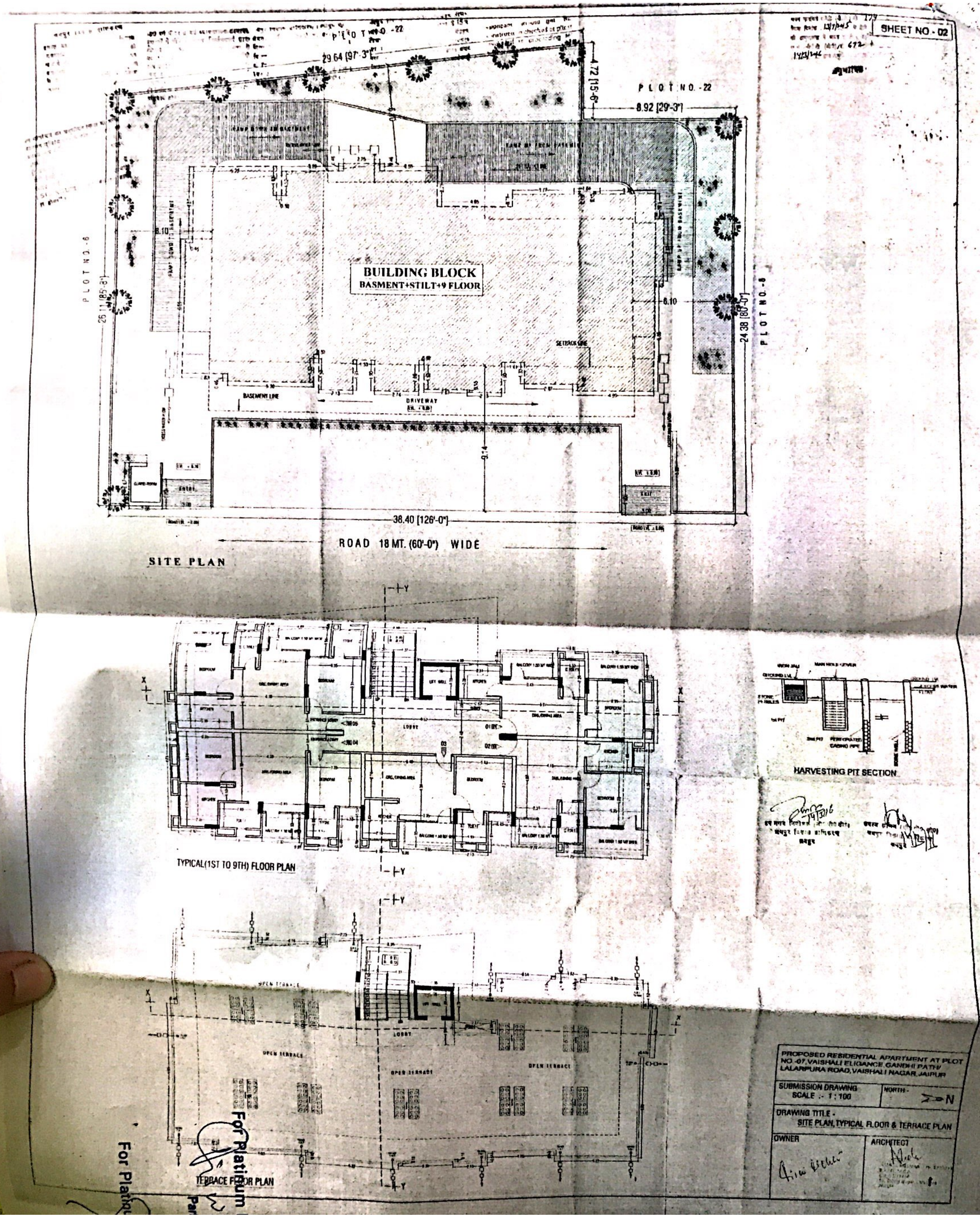

Scanned by CamScanner

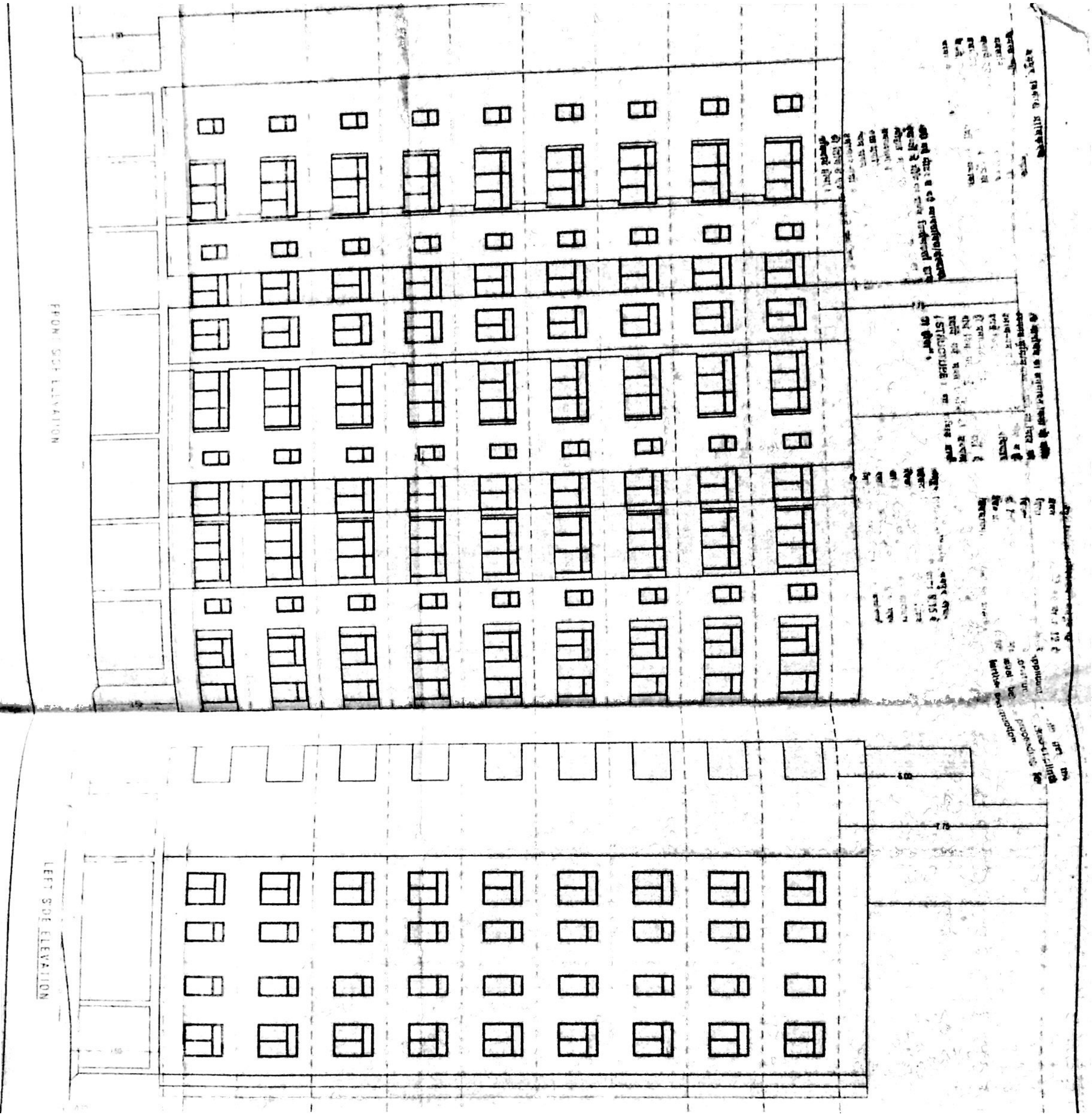

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

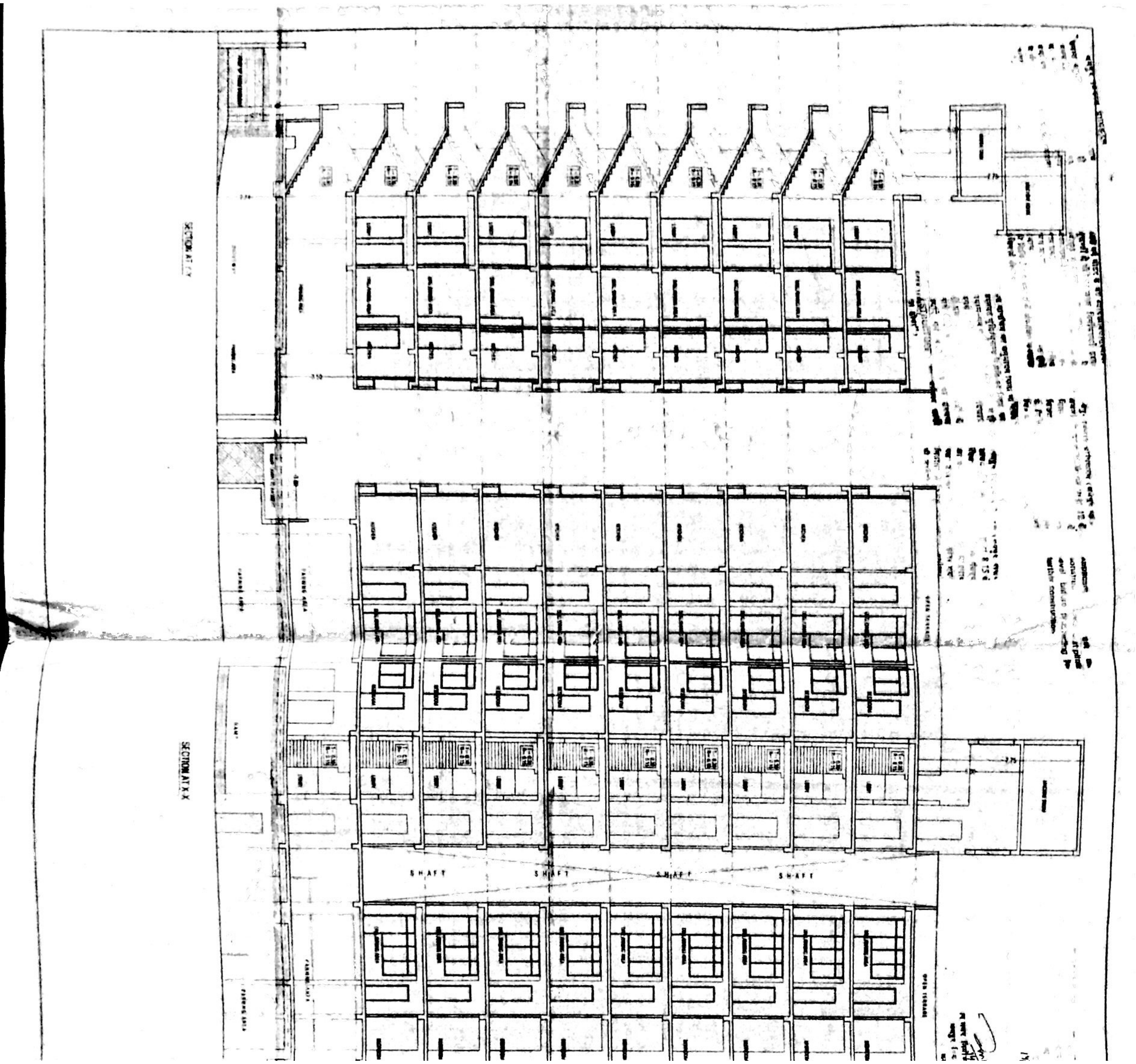

Scanned by CamScanner